कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007
दूरभाष : (0771) 4065100-4065104 फैक्स : 2283594
E-mail: mfpfed.cg@nic.in Website: www-cgmfpfed.org

क्र./वनो./संघ/स्था./2014/ 11456 रायपुर दिनांक 13 /10/2014

प्रति,

1. **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त प्रबंध संचालक,**
   जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित,
   छत्तीसगढ़

विषयः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ के अधिकारियों/ कर्मचारियों के चिकित्सा देयक पारित करने के निर्देश ।

संदर्भः 1.कार्यालयीन पत्र क्रमांक वनो/संघ/स्था./2012/5385 दिनांक 23.07.2002 ।
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक वनो/स्था./2006/3279 दिनांक 08.03.2006 ।
3. म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल का परिपत्र क्रमांक वनो/संघ/स्था./98/32 दिनांक 09.01.1998

-000-

संघ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम का अवलोकन करें, जिसकी प्रति संलग्न है । संघ में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयक के भुगतान क़रने के संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक (1) एवं (2) द्वारा तथा मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के संदर्भित पत्र क्रमांक (3) द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये थे, उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति पुनः संलग्न है ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आपके द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संघ में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों को पारित करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे :-

1. संघ के पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी यदि रजिस्टर्ड या निजी चिकित्सालय से बाहय रोगी के रूप में इलाज कराते हैं, तो शासकीय चिकित्सक की अनुशंसा एवं प्रबंध संचालक की अनुमति आवश्यक नहीं है ।
2. संघ के पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी यदि शासकीय चिकित्सालय में उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति एवं विशेष परिस्थितियों में निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार प्रावधानित है । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में अपवादित प्रकरणों में ही दर्शित परिस्थितियों व स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर स्वयं एवं आश्रितों को निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सा अनुमति प्रदान की जावेगी । अतः ऐसे प्रकरणों में संघ के प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की पूर्व अनुमति आवश्यक है ।
   राज्य से बाहर इलाज कराने की स्थिति में संघ के प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति आवश्यक है ।
3. प्रत्येक चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के साथ उपयोग की गई दवाईयों के खाली पैकेट (शीशी/वॉयल/ट्यूब/गोलियों की पट्टियां आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिन पर

अC

बैच नंबर सुरक्षित हो, इन दवाईयों के पैकेट के अभाव में चिकित्सा देयक/प्रतिपूर्ति नहीं किये जावेंगे ।

पैथोलॉजीकल एवं अन्य परीक्षण की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर की जावेगी ।

होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक दवाईयों खाली पैकेट (शीशी/वॉयल/ट्यूब/गोलियों की पट्टियां आदि) उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रबंध संचालक द्वारा छूट प्रदान की जा सकेगी ।

विशेष परिस्थितियों में प्रबंध संचालक की अनुमति से उपरोक्त शर्तों में शिथलीकरण किया जा सकेगा ।

4. माता-पिता एवं बच्चों का शासकीय/निजी चिकित्सालय में भरती कराकर इलाज कराने की अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजते समय पूर्णतः आश्रित होने का प्रमाण पत्र तथा बच्चों की आयु संबंधी प्रमाण अवश्य भेजें ।
5. निजी चिकित्सालय में भरती कराकर इलाज कराने की स्थिति में संदर्भ पत्र क्रमांक (3) की कंडिका 5 के अनुसार कमरे का किराया मान्य किया जावे ।

कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावे ।

अतः भविष्य में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों एवं उक्त निर्देशों का पालन करते हुये चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पारित किये जावें/इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजे जावें ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

पृ./क्र./वनो./संघ/स्था./2014/ 11457 रायपुर दिनांक 13 /10/2014

प्रतिलिपिः-

संघ के समस्त अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
जे-10, अनुपम नगर, रायपुर - 492007

क्रमांक/वनो/संघ/स्था/2002/ 5385 रायपुर दिनांक 29/07/2002

प्रति,

1- समस्त वन संरक्षक एवं
पदेन महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़)

2- समस्त वनमंडलाधिकारी एवं
प्रबंध संचालक,
जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित (छ.ग.)

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा देयक पारित करने के निर्देश ।

-00-

छत्तीसगढ़ लघु वनोपज कर्मचारी संघ रायपुर द्वारा की गई मांग अनुसार वन संरक्षक एवं जिला यूनियनों में पदस्थ संघ अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों के पारित एवं अनुमति के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1- संघ के पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी यदि रजिस्टर्ड या निजी चिकित्सालय से बाह्य रोगी के रूप में इलाज कराते हैं तो शासकीय चिकित्सक की अनुशंसा एवं प्रबंध संचालक की अनुमति आवश्यक नहीं है ।

2- संघ के पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी यदि शासकीय चिकित्सालय में उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति एवं विशेष परिस्थितियों में निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार प्रावधानित है । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में अपवादित प्रकरणों मे ही दर्शित परिस्थितियों व स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर स्वयं एवं आश्रितों को निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर चिकित्सा अनुमति प्रदान की जावेगी । अतः ऐसे प्रकरणों में संघ के प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर की पूर्व अनुमति आवश्यक है ।

राज्य से बाहर इलाज कराने की स्थिति में संघ के प्रबंध संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये संघ के पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा प्रकरणों पर कार्यवाही करें ।

(हस्ताक्षर)
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

C:\ANGAD\G-28-6-2001.doc

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित,
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी.क्लब के पास खम्हारडीह शंकर नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/वनो/स्था/2006/ 3279 रायपुर, दिनांक 8 /03/2006

//परिपत्र//

संघ मुख्यालय में चिकित्सा देयकों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से चिकित्सा सुविधा के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू जाती है :-

1. प्रत्येक चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के साथ उपयोग की गई दवाईयों के खाली पैकेट/(शीशी/वॉयल/ट्यूब/गोलियों की पट्टिया आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिन पर बैच नंबर सुरक्षित हो, इन दवाईयों के पैकेट के आभाव में चिकित्सा देयक/प्रतिपूर्ति नही किये जावेंगे ।
2. पैथेलॉजीकल एवं अन्य परीक्षण की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर की जावेगी ।
3. होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक दवाईयों खाली पैकेट/(शीशी/वॉयल/ट्यूब/गोलियों की पट्टिया आदि) उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रबंध संचालक, द्वारा छूट प्रदान की जा सकेंगी ।
4. विशेष परिस्थितियों में प्रबंध संचालक, की अनुमति से उपरोक्त शर्तो में शिथिलीकरण किया जा सकेगा ।

उपरोक्त व्यवस्था इस आदेश के उपरान्त करायी जाने वाली चिकित्सा के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त चिकित्सा देयकों पर लागू होंगी ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

पृ.क्रमांक/वनो/स्था/2006/ 3280 रायपुर, दिनांक 8 /03/2006

प्रतिलिपि:-

1. संघ मुख्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. समस्त वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक एवं समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित । उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन से दवाईयों के पैकेट आदि जांच कराने उपरान्त ही देयक पारित करें ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

Secretary\c\A-P-Tiwari\rajestor 21-2-2005-1.doc

80

कार्यालय म०प्र०राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्या.
चतुर्थ मंजिल, 38-बी, विकास भवन, महाराणाप्रताप नगर भोपाल.

क्रमांक/वनो/संघ/स्था/98/ 32 भोपाल, दिनांक 9 /1/98

:-परिपत्र-:

विषय:- **मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के चिकित्सा नियम 7 एवं 8 में प्रदत्त प्रबंध संचालक के अधिकारों का उपयोग.**

--

म०प्र०राज्य लघु वनोपज संघ के चिकित्सा नियम 1985 के नियम 7 एवं 8 में संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों को निजी चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की पूर्वानुमति, प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा दिये जाने का प्रावधान है. उपरोक्त प्रावधान के तहत निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1- प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ की पूर्वानुमति आवश्यक होगी. सामान्यतया उपचार उपरांत स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी.

2- अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही उपचार उपरांत कार्योतर स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

3- समस्त प्रकार की दवाओं की पूरी राशि स्वीकृति योग्य होगी.

4- पैथालाॅजी, रेडियोलाॅजी आदि से संबंधित राशि जहाँ आवश्यक हो पूर्ण भुगतान योग्य होगी.

5- प्रदेश के भीतर निजी चिकित्सालय में कमरे का किराया कर्मचारी/अधिकारी की श्रेणी अनुसार निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा:-
(अ) वर्ग - कमरे के किराये का 50प्रतिशत एवं अधिकतम रु.400/-प्रतिदिन
(ब) वर्ग - कमरे के किराये का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम रु .300/-प्रतिदिन
(स) वर्ग - कमरे के किराये का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम रु .200/- प्रतिदिन
(द) वर्ग - कमरे के किराये का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम रु .100/-प्रतिदिन

6- प्रदेश के बाहर चिकित्सा सुविधा का लाभ संघ कर्मचारियों व अधिकारियों को तभी दिया जा सकेगा जबकि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष या प्रोफेसर की अनुशंसा हो अथवा संघ के चिकित्सा सलाहकार द्वारा इस हेतु अनुशंसा की गई हो.

प्रदेश के बाहर इलाज कराने पर चिकित्सालय में व्यय की गई पूर्ण राशि स्वीकृति योग्य होगी.

Attested
6.11.2000

ह./-

प्रबंध संचालक,

(8)

पृ·क्र·/वनो/संघ/स्था/98/ 536 भोपाल, दिनांक 9 /1/98

प्रतिलिपि:-

1- समस्त अधिकारी/कर्मचारी, संघ मुख्याल, भोपाल·

2- प्रबंधक (वित्त/लेखा) संघ मुख्यालय, भोपाल·

3- समस्त वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक म०प्र०·

4- समस्त व०म०अ०एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित·

Attested T.C.

6-11-2000

प्रबंध संचालक,
म०प्र०राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं,
विकास सहकारी संघ मर्या·भोपाल·

...

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0

-आदेश-

क्रमांक विप/एम/ 784

भोपाल, दिनांक 4 अप्रेल, 1985

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सुनील कुमार, अपर-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ द्वारा बनाये गये कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम संलग्न अनुसार अनुमोदित करता हूँ।

(सुनील कुमार) 2.4.85
अपर पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश।

क्रमांक विप/एम/ 784

भोपाल, दिनांक 4 अप्रेल, 1985

प्रतिलिपि:-

1/ प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक स्था/539/84 दिनांक 3.4.84 एवं क्रमांक स्था/1099/84 दिनांक 14.5.84 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2/ प्रभारी अंकेक्षक म0प्र0 राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुलाम-3

अपर पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

Attested 6.11.2010

रा/ज/मू/त/
2/4/85/

-45

MADHYA PRADESH RAJYA LAGHU VANOPAJ VYAPAR AVAM VIKAS SAHAKARI SANGH

Regd.Office : E-2/38, Arera Colony.

(A Government of M.P. Undertaking)

EMPLOYEES MEDICAL REIMBURSEMENT RULES

1. The Rules may be called, The Laghu Vanopaj Sangh Employees Medical Re-imbursement Rules.

2. In these Rules, unless the context otherwise requires:

   a) "Board" or 'Committee' means the Board of Directors of Laghu Vanopaj Sangh Limited.

   b) "Chairman" means the Chairman of Laghu Vahopaj Sangh.

   c) "Competent Autherity" means the Managing Director of Laghu Vanopaj Sangh Ltd. or such other Officer or officers of the Sangh to whom the Managing Director may delegate powers in respect of any or all the matterprovided under the Rules.

   d) 'Laghu Vanopaj Sangh' or 'Sangh' means the Madhya Pradesh Rajya V. Laghu Vanopaj Vyapar Avam Vikas SAHAKARI SANGH MARYADIT, Bhopal.

   e) "Employees" means an employee of the Laghu Vanopaj Sangh and include deputationists.

   f) 'Family' means the employee, his wife (not more than one wife is included in the family) of her husband wholly dependednt on her, legitimate children step children residing with and wholly dependent upon him. Except in rule it includes in addition his parents, sisters and minor brothers if residing with and wholly dependent upon him/her

   g) 'Pay' means basis pay exclusive of D.A. and all other allowances.

3. These rules will be applicable to all the employees of the Sangh.

4. The powers to interpret these Rules and to sanction the claims hereunder will be exercised by the Competant authority.

5. The Sangh will reimburse actual expenses incurred on employee on medical attendence and treatment except food stuff in connection with his/her own illness or of his/her family. For the purpose of this reimbursement the employee shall produce before the Competent Authority a certificate and bills duly countersigned by the Registered Medical Practioner. On production of such certificate and bills the competent Authority may reimburse the expenditure certified therein.

Attested T.C.

6. 1) Such employees of the Sangh, whose head quarters are places where no Registered Medical practioner is available shall be paid Rs.300/- per year in lumpsum (in two instalments in the month of December and June) A list of such head quarters shall be maintained both at Head Office and Divisional Manager's Office.

2) In case of Hospitalisation of Sangh staff or their departments, they shall be reimbursed with medical bills of Government hospitals or any hospital recognised by the Government, the actual medical expenses incurred by them.

7. Normally an employee will be permitted to be treated as indoor patient in Govt. hospitals only where he will be reimbursed room rent upto fifty persent to employees of drawing pay of Rs.750/- 2350/- per month or more and 100 percent to other employees, Consultation charges, charges for investigations viz.x-ray, blood, stool tests and others tests etc. will be paid in full on production of receipts duly signed by the competent authority of the Hospital.

a) An employee may be permitted to be treated as in door patient in private Nursing Home/Hospital provided he is permitted by Managing Director in writing and reason for such permission may be kept on record with in the financial limits as per rule 7.

8. In case of serious illness and with prior permission of Managing Director, treatment will be permitted outside, M.P. in India, provided adequate treatment facilities are not available inside M.P. and the case is duly recomended by ~~Civil Surgeon of the concerned District~~. In such cases only railway fare/bus fare for the parient and one attendent will be paid for the class of accomodation, the employee is entitled to on transfer to the place of treatment and back.

a) While an employee is on tour or on leave outside the state of M.P., he may be permitted medical facilities under these rules provided the treatment has been undertaken at the advice of Doctor employed by any Government or Autononous body.

9. A Register with separate pages assigned for each employee/ deputationist will be kept ineach office of sanctioning authority, showing full details of medical claims reimbursed to him with a view to kepp a full check that the facility is not

10. Managing Director may appoint a Registared Medical practioner as 'Medical Consultant' for the office of the sangh in consultation with the Chairman

...3/

on such terms and conditions, as may be decided between themselves.

Approved.

Addl. Registrar.

उप पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
म. प्र. भोपाल

Attested T/C.

6.11.2002

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सह०संस्थाएें,म०प्र०
विन्ध्याचल भवन भोपाल

क्रमाँक/विप/वनो/95/ 3632 भोपाल,दिनाँक 12 / 12/95

// आदेश //

म०प्र०राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल ने संघ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत नवीन नियम क्रमांक 11 एवं 12 प्रति स्थापित करने हेतु अनुमति चाही है। यह संघ के हित में आवश्यक है।

अतः म०प्र०सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की विज्ञप्ति क्रमाँक 241-7060-15/62 दिनाँक 16/6/62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एस०एस०वानखेडे,अपर पंजीयक,सहकारी संस्थाऐं,म०प्र०भोपाल,संघ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत नवीन नियम क्रमाँक 11 एवं 12 संलग्न परिपत्र अनुसार प्रति स्थापित करता हूँ।

सही/-
(एस०एस०वानखेडे)
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं,म०प्र०

क्रमाँक/विप/वनो/95/ 3632 भोपाल,दिनाँक 12 / 12/95

प्रतिलिपि:-

1- प्रबंध संचालक,म०प्र०राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल।

2- प्रभारी अंकेक्षक,म०प्र०राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल M/C.

Attested

अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं,म०प्रदेश

13/12

म०प्र० रा० ल० व० व्या० एवं वि० स० संघ भोपाल
क्र. 17515
ता० 23.12.95

(6)

म0प्र0राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास
सहकारी संघ मर्यादित भोपाल -चिकित्सा प्रति-
पूर्ति नियम

...न जोड़ना है	वर्तमान प्रावधान	नियम की शब्दावली
2	3	4
...म क्रमांक -11	--	जहाँ पति/पत्नी दोनों सेवा में हो तथा उनमें से एक संघ की सेवा में तथा राज्य/केन्द्र शासन की सेवा में अथवा अन्य अर्ध शासकीय/स्वशासी अथवा अ... निजी संस्थाओं में कार्यरत हो एवं वहाँ उन्हें चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सु... उपलब्ध है, तो उनको यह संयुक्त घोषणा पत्र देना होगा कि उनकी पत्नी/... किस जगह सेवा में है तथा उस स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अ... चिकित्सा प्रतिपूर्ति कौन कहाँ से प्राप्त करेगा एवं उनके द्वारा अपने कार्या... से चिकित्सा प्रतिपूर्ति न पाने की दी गई घोषणा के अनुसार संघ के सेवक ... पत्नी/पति अपने परिवार का चिकित्सा व्यय, संघ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नि... के अनुसार संघ से पाने के अधिकारी होंगे । कर्मचारी को प्रत्येक प्रतिपूर्ति दे... के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ।
...म क्रमांक-12	--	संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, दवाई खरीदने की तिथि से 6 माह की अवधि में, संघ में प्रस्तुत कर सकेंगे । विशेष परिस्थिति में प्रबंध संचालक किसी चिकित्सा बिल को अवधि के बाद भी प्रस्तुत करने की अ... मति कारणों का उल्लेख करते हुये दे सकेंगे ।

Attested
T.C.

अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, म0प्र0

क्रमांक/विप0/वनो0/99/ भोपाल, दिनांक ......

:: आ दे श ::

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विप0/एम/784, दिनांक 4/4/85 द्वारा स्वीकृत मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम क्रमांक 7 एवं 8 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रति स्थापित करता हूँ ।

चिकित्सा नियम-7	संशोधन
Drawing pay of Rs.750/- per month. के स्थान पर	Drawing pay of Rs.2350/- per month.

चिकित्सा नियम-8	संशोधन
Duly recommended by Civil Surgeon of the concerned district के स्थान पर	Duly recommended by professor of Medical Colleges.

उक्त आदेश आज दिनांक 21/5/99 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(पी.डी. मिश्र)
अपर पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, म0प्र0

क्रमांक/विप0/वनो0/99/ 2220 भोपाल, दिनांक 21.5.99

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के प्रस्ताव क्रमांक स्था0/1/99/4380, दिनांक 5.4.9 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. प्रभारी अंकेक्षक, एवं उप पंजीयक, लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल ।
3. सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग भोपाल ।
4. सचिव, म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Attested 6.11.2000

अपर पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, म0प्र0
विन्ध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक/विप/कनो/99/ भोपाल दिनांक 13/8/99

// आदेश //

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विप/कनो/2220 दिनांक 2/6/99 द्वारा म0प्र0 राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के सेवायुक्तों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम क्रमांक 7 में **Drawing Pay of Rs.750/-per month** के स्थान पर **Drawing Pay of Rs.2350/-per month** संशोधित किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम क्रमांक 7 में **Drawing Pay of Rs.2350/-per month** के स्थान पर **Drawing Pay of Rs.2550/-per month** प्रतिस्थापित करती हूँ।

सही/-
(सरीना सिंह)
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, म0प्र0

क्रमांक/विप/कनो/99/ 3124 भोपाल दिनांक 11/8/99

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के प्रस्ताव क्र/स्था/1/99/7341 दिनांक 31/5/99 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी एवं उप पंजीयक लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग भोपाल।
4. सचिव, म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, म0प्र0